

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र मोहन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित समस्त
प्रशासनिक विभागों के सचिव/विशेष सचिव।

विषय:- गैर-सरकारी अध्यक्षों एवं गैर-सरकारी निदेशकों के नियुक्ति आदेशों में उनके कार्यकाल तथा श्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त का स्पष्ट
उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 5 दिसम्बर, 1984

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके नियन्त्रणाधीन उपक्रमों/निगमों में गैर-सरकारी अध्यक्षों एवं
गैर-सरकारी निदेशकों को अधिकतम दो वर्ष के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति किया जाया करे कि राज्यपाल महोदय की स्वेच्छा से उक्त अवधि
के पूर्व भी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

2. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
(सुरेन्द्र मोहन)
सचिव।

संख्या- 2284 (1)/चौवालिस-1/84 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निगमों से सम्बन्धित समस्त प्रशासनिक अनुभाग।
- (2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

आज्ञा से,
(आर०के० सिंह)
विशेष सचिव।